न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2022/277

1. रामजीलाल जाटव पुत्र श्री प्रभाती लाल जाटव, निवासी मौसमपुर पट्टी तहसील महवा, जिला दौसा, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधीश कार्यालय दौसा, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश पारासर, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से

दिनांकः 25.03.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2022 से असंतुष्ट होकर आर्म्स एक्ट की धारा 18 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ग्राम मौसमपुर पट्टी महवा तहसील व थाना महवा जिला दौसा का निवासी है। अपीलार्थी के पास लाईसेन्सशुदा दुनाली 12 बोर की डीबीबीएल गन नम्बर 38147 ए/9 है, जिसका लाईसेन्स नम्बर डीएम/डीएसए/आरएन–35 है, जो दिनांक 31.12.2009 तक वेलिड था। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी उक्त शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण कराने के लिए वर्ष 2009 में अपने निवासी स्थान से आ रहा था लेकिन उसी समय गुर्जर आन्दोलन छिडा होने के कारण सड़के जाम थी एवं आवागमन के साधन बन्द थे, उस कारण वह दौसा नही जा सका। तत्पश्चात् अपीलार्थी का स्वास्थ्य खराब हो गया एवं वर्ष 2013 में अपीलार्थी की माताजी का स्वर्गवास हो गया एवं उससे पहले दिनांक 14.04.2010 को अपीलार्थी के बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात् अपीलार्थी के दूसरे बडे भाई के गले में कैंसर हो गया एवं ईजाज के दौरान नवम्बर 2016 में अपीलार्थी के भाई की मृत्यु हो गयी। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं से अपीलार्थी मानसिक अवसाद में आ गया तथा उसे अपने उक्त शस्त्र लाईसेन्स को नवीनीकरण कराने का ध्यान नही रहा। तत्पश्चात् अपीलार्थी मानसिक अवसाद से बाहर आया एवं धीरे–धीरे सामान्य हुआ एवं तत्पश्चात् अपीलार्थी ने अपने उक्त वर्णित लाईसेन्स को नवीनीकरण कराने के सद्भावी उद्देश्य देरी के समुचित एवं सद्भावी कारण अंकित करते हुये अपीलार्थी ने जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 29.08.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन जिला कलक्टर दौसा ने अपने आदेश दिनांक 05.04.2022 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र नवीनीकरण करने के प्रार्थना पत्र को अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण अंकित करते हुए खारिज फरमा दिया। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर अपीलार्थी ने आदेश की प्रमाणित प्रति के लिऐ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 13.05.2022 को नकल मिली। तत्पश्चात् अपीलार्थी के द्वारा जानकारी की दिनांक से अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा जो विलम्ब हुआ है वह जानबुझकर एवं इरादतन नही होकर युक्तियुक्त व सद्भावी कारण से हुई, जो न्यायहित में क्षमा योग्य है। ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष युक्तियुक्त व सद्भावी कारणों से अवगत कराते हुए शस्त्र

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

लाईसेन्स नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने में गंभीर कानूनी भूल कारित की है। उन्होने यह भी कथन किया है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपने आदेश में अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने का एक अन्य कारण यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत नही किया है जबकि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर दौसा के समक्ष शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, उस समय रीडर एवं कार्यालय क्लर्क ने इस बाबत ना तो अपीलार्थी को निर्देश दिये और ना ही आपत्ति की और ना ही आर्डरशीट पर इसका उल्लेख किया गया, केवल अपीलार्थी को अपना मेडिकल उपलब्ध कराने का नोट अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर डाला गया था। यदि तत्समय ही रीडर या न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते तो अपीलार्थी उसी समय शपथपत्र प्रस्तुत कर देता। इसलिये शपथपत्र पेश नही करने के आधार पर अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज करना कतई युक्तियुक्त व सद्भावी नही होने से आलौच्य आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर जिला कलक्टर दौसा के आलौच्य आदेश दिनांक 07.04.2022 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपर/उच्च न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2009 तक नवीनीकृत था, को आगामी नवीनीकरण कराने के लिये अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2019 अर्थात 9 वर्ष 7 माह एवं 28 दिवस विलम्ब से आवेदन किया गया जबकि आयुध नियम 2016 के नियम 24 के उपनियम (2) के अनुसार आयुध और गोला बारूद के लिऐ अनुज्ञप्ति समाप्त होने के कम से कम साठ दिन पूर्व प्रारूप मे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को फाईल होगा, के प्रावधान है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असाधारण लगभग 9 वर्ष 7 माह 28 के विलम्ब को कण्डोन किये जाने के ठोस कारण उपलब्ध नही रहे है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2022 यथावत रखा जाता है।

(वे.सरवण कुमार)
सभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर